

समाहरणालय,मधेपुरा।

(जिला राजस्व शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के स्वीकृत्यादेश सं० 400(8) दिनांक 26.11.14 एवं अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के आवंटनादेश सं० 57(5) दिनांक 09.12.14 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 104- सरकारी संपदाओं का प्रबंध- 0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय, मांग सं०-40, विपत्र कोड- एन 2029001040001 के अंतर्गत 1301 कार्यालय व्यय मद में बिहार महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना तथा टी०एस०पी० योजना अन्तर्गत महादलित / सुयोग्य श्रेणी तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के सर्वेक्षण कार्य हेतु प्राप्त कुल आवंटन मो० 130000.00(एक लाख तीस हजार ) रुपये को प्रति अंचल 10000.00(दस हजार) रु० की दर से निम्नांकित सभी अंचल अधिकारियों को स्तम्भ 05 में सामने अंकित राशि की निकासी हेतु उपावंटित किया जाता है।

क्र०	कार्यालय का नाम	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन
1	2	3	4	5	6
1	अंचल कार्यालय,मधेपुरा	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	0	10000.00	10000.00
2	अंचल कार्यालय,धैलाढ़	अंचल अधिकारी, धैलाढ़	0	10000.00	10000.00
3	अंचल कार्यालय,सिहेश्वर	अंचल अधिकारी, सिहेश्वर	0	10000.00	10000.00
4	अंचल कार्यालय,गम्हरिया	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	0	10000.00	10000.00
5	अंचल कार्यालय,शंकरपुर	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	0	10000.00	10000.00
6	अंचल कार्यालय,कुमारखंड	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	0	10000.00	10000.00
7	अंचल कार्यालय,मुरलीगंज	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	0	10000.00	10000.00
8	अंचल कार्यालय,ग्वालपाडा	अंचल अधिकारी, ग्वालपाडा	0	10000.00	10000.00
9	अंचल कार्यालय,उदाकिशुनगंज	अंचल अधिकारी,उदाकिशुनगंज	0	10000.00	10000.00
10	अंचल कार्यालय,पुरैनी	अंचल अधिकारी, पुरैनी	0	10000.00	10000.00
11	अंचल कार्यालय,बिहारीगंज	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	0	10000.00	10000.00
12	अंचल कार्यालय,चौसा	अंचल अधिकारी, चौसा	0	10000.00	10000.00
13	अंचल कार्यालय,आलमनगर	अंचल अधिकारी, आलमनगर	0	10000.00	10000.00
	योग-		0	130000.00	130000.00

उपावंटन की शर्त :-

1. यह राशि मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 104- सरकारी संपदाओं का प्रबंध- 0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय, मांग सं०-40, विपत्र कोड- एन 2029001040001 के अंतर्गत 1301 कार्यालय व्यय मद में उपवंटित राशि से विकलनीय होगा ।
2. उपर्युक्त उपावंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561(वि.) दिनांक 17.04.98 के आलोक में किया जा रहा है ।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर ईकाई का कोड, मांग संख्या तथा विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय ।
4. राशि का उपावंटन मात्र इस शर्त पर की जाती है कि इसका उपयोग नियमानुसार एवं सरकारी आदेशानुसार संबंधित मद में ही किया जायगा ।
5. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावंटित प्राप्त करने वाले पदाधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश बिहार कोषागार संहिता एवं वित्त नियमावली में निहित प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जाय । यह सुनिश्चित करना उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

7. उपावंटित राशि विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय, यह सुनिश्चित करना उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उपावंटित राशि का व्यय विवरणी, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि निश्चित रूप से भेज दिया जाय इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

६०/-  
समाहर्ता,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....902-2...../रा०,मधेपुरा,दिनांक:-17-12-2014...../

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 400(8) दिनांक 26.11.14 एवं पत्रांक 57(5) दिनांक 09.12.14 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

- प्र० को Notice पर प्रकाशन हेतु !

२  
12/12/14  
समाहर्ता,  
मधेपुरा।